न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 12/2012/223 आर टी ए

1. स्वरूपसिह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मनफूलराम पुत्र शेराराम जाति छिम्पा निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पो0

2. लाधूराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. श्रवणकुमार पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. चूनाराम (फौत)

4/1 पानादेवी पत्नि चूनाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4/2 ताराचंद पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4/3 कौशल्या पुत्री चूनाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4/4 केसरदेवी पुत्री चूनाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4/5 सुमन पुत्री चूनाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. वीर बहादूर पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. रणजीतराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. बीरबलराम पुत्र गणपतराम (फौत)

7/1 देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहम्ण निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/2 कृष्णलाल पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहम्ण निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7/3 हेतराम पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहम्ण निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/4 बलराम पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहम्ण निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/5 रामकुमार पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहम्ण निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. मनसाराम पुत्र गणपतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

———तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.07.2005 व डिक्री दिनांक 14.07.2005 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्र0सं0 13/2005 अनवानी मनफूलराम बनाम बीरबल आदि

उपस्थित :–
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट
श्री रमेशदास पुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांकः–13.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत कर चक 9 एमजेडी के खाता सं. 3/4 खाता आसा वगैरा मे दर्ज 1.771 है0 मे से 1.189 है0 का खाता अलम करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 को तलब किया गया जिसमे रेस्पो0 सं. 7 व 8 ने जवाबदावा पेश किया व शेष के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर वाद रेस्पो0 सं. 1 डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने गोपीराम पुत्र गणपतराम से इस खाता की 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.02.1963 को खरीद की जो आराजी गोपीराम के नाम रिकार्ड मे दर्ज थी लेकिन इस भूमि का इंतकाल दर्ज नही किया गया था तथा रेस्पो0 सं. 1 ने गोपीराम को वाद मे पक्षकार नही बनाया ताकि वाद की सही स्थिति सामने न आये जबकि गोपीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था। अपीलांट अपने इंतकाल करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 04.01.2012 को गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि जिस भूमि का आप इंतकाल करवाने चाहते है वह मनफूलराम के नमा जरिये डिक्री दर्ज हो चुका है जिस पर पटवारी हल्का ने इंतकाल की नकल अपीलांट को दी तो अपीलांट को सर्वप्रथम निर्णय दिनांक 04.07.2005 व डिक्री दिनांक 14.07.2005 की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नही थी। अपीलांट विचारण न्यायालय मे पक्षकार नही था। अपीलांट ने वादपत्र भूमि दिनांक 14.02.1963 को जरिये बैयनामा खरीद की है जिसका इंतकाल राजस्व

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

रिकार्ड मे नही हो सका था। अपीलांट द्वारा खरीद की गई भूमि रेस्पो सं. 1 ने अपने नाम वास्तविक तथ्यों को छुपाकर करवा ली है। रेस्पो. सं. 1 ने खातेदार गोपीराम जिसका नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था उसको पक्षकार नही बनाया है तथा खाता तकसीम के वाद मे सभी रिकार्डेड खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। चक 9 एमजेडी के प.न. 134/172 कि.न. 22 मे 6 बिस्वा भूमि अपीलांट द्वारा खरीद की गई है तथा अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। रेस्पो0 सं. 1 इस बीघे की भूमि को रहन, बैय तथा मुन्तकिल करने पर उतारू हैं जबकि इस बीघे पर अपीलांट का कब्जा है। विचारण न्यायालय ने अपना फैसला करते समय राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही किया तथा ना ही निर्णय देते समय अपना माईन्ड अप्लाई किया। विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी करनी थी तथा विचारण न्यायालय ने सीधी अन्तिम डिक्री जारी कर कानूनी भूल की है। अगर प्राथमिक डिक्री जारी होती है तो कब्जे काश्त की सही स्थिति स्पष्ट हो जाती। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के निस्तारण मे अत्यन्त सुसंगत व अहम दस्तावेज है तथा राजकीय रिकार्ड से संबंधित है जिनके फर्जी होने का कोई क्यास नही है इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर अपीलांट की जवाबदेही तथा साक्ष्य लेकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 9 एमजेडी के खाता सं. 3/4 मे कुल 1.771 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ने जरिये बैयनामा चक 9 एमजेडी की 1.189 है0 फताराम से खरीदशुदा है जो राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज है। बैयनामा के रोज रेस्पो0 सं0 1 को चक 9 एमजेडी के प.न. 134/172 मु.न. 5 कि.न. 22, 23, प.न. 134/173 मु.न. 15 कि.न. 1/0.228, 2/0.228, 10/0.177 कुल 1.189 है0 मय गैरमुमकिन भूमि का कब्जा सौंपा गया इसी कारण रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम दर्ज एवं कब्जा काश्त भूमि का खाता तकसीम का दावा प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष का चाहा गया जिसमे प्रतिवादीसं. 1 वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/9 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की तथा शेष प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर वाद मे कोई विरोध नही होने के कारण दावा डिक्री किया गया जो सही एवं विधिसम्मत है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 9 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज प्रमाण पत्र जल उपभोक्ता संगम प्रबन्ध समिति दिनांक 08.08.18, प्रमाणित प्रति जल संसाधन विभाग राजस्थान, शुद्धकार खसरा सम्वत 2008–09, 2017–18, 2017, 2016–17, 2016, 2015–16 दस्तावेजात निर्णय मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड मे लिया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत कर विवादित भूमि के संबंध मे खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये दावा अन्तिम डिक्री किया गया। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा वादपत्र मे विवादित भूमि से संबंधित समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया तथा गोपीराम जिसका नाम राजस्व रिकार्ड मे भूमि सांझा खाते मे दर्ज है तथा गोपीराम द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि मे से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.02.1963 अपीलांट स्वरूपसिंह को बैय कर दी थी परन्तु इंतकाल बैयनामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे नही हो सका इसलिये वादग्रस्त भूमि गोपीराम के नाम दर्ज रही परन्तु रेस्पो0 द्वारा ना तो गोपीराम को पक्षकार बनाया और ना ही खरीददार अपीलांट स्वरूपसिंह को पक्षकार बनाया गया जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंधी प्रकरण मे अपीलांट जो कि रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि सद्भावी क्रेता जिसको जवाबदेही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही हो सका ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2005 व डिक्री दिनांक 14.07.2005 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण मे बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा मे अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official